अपील सूचना अधिकार संख्या 40/2020 (RCMS 2020/00056) डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेह सिंह भाटी निवासी माँ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, दूगड विद्यालय रोड़, बाल मन्दिर स्कूल के पास, सरदारशहर जिला चुरु (राज.) (मोबाईल नं. 94140-84114) बनाम लो..सू.अ. एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2019 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 250/- प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित करने, अनुशासनात्मक कार्यवाकी करने, मानसिक संताप के लिए क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने एवं सम्पूर्ण सूचनाएं निशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. पंजाब राज्य से डीजल एवं पेट्रोल लाने वाले वाहन में आगजनी की घटना कारित हुई थी :

A. उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर व वाहन मालिक का विवरण

B. पेट्रोलियम वाहन के द्वारा किस प्रकार का उत्पाद परिवहन किया जा रहा था, का विवरण ।

C. उक्त उत्पाद कहाँ से क्रय किया गया था, का विवरण

D. उत्पाद क्रय करके लाने वाले व्यक्ति का नाम व विवरण

E. विधि विरूद्ध किये गये कृत्य

उपरोक्त सम्पूग्र विवरण दो प्रमाणित प्रतियों में।

2. पंजाब राज्य में बसों के माध्यम से तस्करी करने वाले प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण मय पंजीबद्ध अभियोजनों की प्रतियाँ तथा आज दिनांक तक उनके विरूद्ध संस्थित की गई कार्यवाही की नोटशीट की प्रमाणित प्रतियाँ (दो प्रतियों में)

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/सू. क.अ./2019/165 दिनांक 08.01.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही है:—

1. पंजाब राज्य से डीजल एवं पेट्रोल लाने वाले वाहन में आगजनी की घटना कारित हुई थी :
   उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर व वाहन मालिक का विवरण
   पेट्रोलियम वाहन के द्वारा किस प्रकार का उत्पाद परिवहन किया जा रहा था, का विवरण ।
   उक्त उत्पाद कहाँ से क्रय किया गया था, का विवरण
   उत्पाद क्रय करके लाने वाले व्यक्ति का नाम व विवरण
   विधि विरूद्ध किये गये कृत्य
   उपरोक्त सम्पूण्र विवरण दो प्रमाणित प्रतियों में।
2. पंजाब राज्य में बसों के माध्यम से तस्करी करने वाले प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण मय पंजीबद्ध अभियोजनों की प्रतियाँ तथा आज दिनांक तक उनके विरूद्ध संस्थित की गई कार्यवाही की नोटशीट की प्रमाणित प्रतियाँ (दो प्रतियों में)

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत,सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू./सूअप्र./2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यों'' प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नहीं है। रिट पैटीशन सं. 419/2007 डा. सेलस पिण्टों बनाम गोवा राज्य में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियक के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नही होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। आप द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकरी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है,** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर